**बिहार सकरार**
**योजना एवं विकास विभाग**
**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

पत्रांक-स्था०2/02-05/2016 35 पटना, दिनांक- 27.03.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

**जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,** कैमूर (भभुआ)।

**विषय:-** **वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के द्रूत सर्वेक्षण शीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के वहन हेतु राशि भुगतान के लिए 3,000/-(तीन हजार) रूपये का अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (ए०एस०आई० डिविजन) का पत्रांक- 2-3/2016/ए०एस०आई०-ई०एस० दिनांक 24.05.2016 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना (क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रूत सर्वेक्षण/फसल सांख्यिकी के सुधार) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब-15/बी०एस०जी०- 102/2016-811/बी० दिनांक 12.08.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 10.08.2016 को स्वीकृति प्रदान की है एवं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में उपबंधित राशि 31 मार्च 2017 तक की अवधि के व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक-सर्वे०द०-07/2010/2175 दिनांक 25.11. 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनागत योजना अन्तर्गत द्रुत सर्वेक्षण योजना में स्वीकृत पदों का ₹ 86,50,000/-(छियासी लाख पचास हजार रुपये) के अनुमानित व्यय पर पद अवधि विस्तार किया गया है।
3. कंडिका-1 एवं 2 के आलोक में 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि से नियमानुसार राशि आवंटित किया जा सकता है।
4. कंडिका-03 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रूत सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022040408 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कैमूर (भभुआ) होंगे।
7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा

आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहायक | प्रशाखा पदाधिकारी | सहायक निदेशक | व०सं० निदेशक | निदेशक

ज्ञापांक- 35 दिनांक- 27.03.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 35 दिनांक- 27.03.17

प्रतिलिपिः- जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 35 दिनांक- 27.03.17

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. संयुक्त निदेशक योजना/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक